



सब विवाद भू-पट्टा विभाग द्वारा राजस्व नकशों  
 में पुराने खण्ड नं. 594/1 व 594/2 के त्रुटि  
 को नये नकशों में बदलने तथा गलत त्रुटि  
 करने की वजह से हुआ है। ज्ञात है कि  
 खण्ड नं. 594/1 के राजस्व  
 नकशों में पुराने खण्ड नं. पर कब्जा आदिपत्र  
 है। धारा 212 R.T. Act के तहत प्रथम हल  
 मामला जो 21 ईल पर आधारित हो तथा  
 आदिपत्र को निलंबित हो चककाद का  
 शाबिक करना होगा। विचारणुफरन में  
 प्रथम हल मामला ज्ञात है कि  
 से जे एवं ज्ञात है कि पुराने  
 खण्ड नं. 594/1 के त्रुटि नकशों में  
 पुराने खण्ड नं. पर कब्जा आदिपत्र  
 का प्रथम चककाद खाने पर जाने में ही  
 प्राथमिक ज्ञात है कि त्रुटि नकशों  
 में गलत नकशों के आधार पर दुरुवलादी  
 पैदा करने का आदिपत्र नहीं है। सुविध्य का  
 संतुलन ज्ञात है कि त्रुटि नकशों  
 के त्रुटि नकशों में गलत नकशों के त्रुटि  
 को प्राथमिक ज्ञात है कि त्रुटि नकशों  
 खाने पर त्रुटि नकशों से खेद लकर कर  
 देगा, जिससे ज्ञात है कि त्रुटि नकशों  
 एवं त्रुटि नकशों होगी।

ज्ञात है कि त्रुटि नकशों के आधार पर  
 ज्ञात है कि त्रुटि नकशों पर धारा 212 R.T. Act  
 का प्रथम ज्ञात है कि त्रुटि नकशों  
 एवं त्रुटि नकशों से त्रुटि नकशों  
 ज्ञात है कि त्रुटि नकशों के त्रुटि नकशों  
 में त्रुटि नकशों से त्रुटि नकशों  
 त्रुटि नकशों से त्रुटि नकशों

दिनांक 04/6/18  
 उपलब्ध अधिकारी  
 तिरोही